न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी); बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट भीटवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021/
दायरा तिथि : 12.11.2021
फैसला तिथि : 12.11.2021
प्रार्थी ::–
लालसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– **दिनांक 12.11.2021**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प भीटवाडा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी के स्व. पिता मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 690, 694, 695 कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.01 हैक्टर में दर्ज पिता का नाम **मोहब्बतसिंह पुत्र अचलसिंह त्रुटिपुर्ण** होने से **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 690,694, 695 कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.01 हैक्टर की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति पेश की गई। इसके साथ ही सही नाम मोहनसिंह होने की पुष्टि में अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, ग्राम भीटवाडा में ही धारित की जा रही अन्य भूमि खसरा नंबर 686, 687, 702, 703, 711, 712, 713, 714, 731, 732, 733, 734 कुल खसरा–12 कुल रकबा 4.29 हैक्टर की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रति पेश की गई। इसके साथ ही वर्णित तथ्यो की पुष्टि में शपथ पत्र भी पेश किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र का जबाव मय पटवारी हल्का भीटवाडा की रिपोर्ट के साथ भूमिधारी तहसीलदार, बाली की ओर पेश किया। अपने जबाव में प्रार्थी के पिता मोहनसिंह का नाम जरिये नामान्तरकरण मोहब्बतसिंह दर्ज होना तथा आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम माहेनसिंह ही दर्ज होना स्वीकार करते हुये मोहनसिंह एवं मोहब्बतसिंह एक ही व्यक्ति होने से रेकर्ड में दर्ज मोहब्बतसिंह की बजाय सही नाम मोहनसिंह दुरस्त कना उचित बताया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी हल्का भीटवाडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण के दौरान् त्रुटिपुर्ण दर्ज हुआ है, जो अब तक राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपुर्ण दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी के पिता द्वारा धारित की जा रही ग्राम भीटवाडा की ही अन्य भूमि खसरा नंबर खसरा नंबर 686, 687, 702, 703, 711, 712, 713, 714, 731, 732, 733, 734 कुल खसरा–12 कुल रकबा 4.29 हैक्ट में प्रार्थी के पिता का **सही नाम मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह बतौर सह खातेदार** दर्ज है। जिससे वादग्रस्त भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 690, 694, 695 कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.01 हैक्टर में भी प्रार्थी के पिता का नाम सुधारा जाना विधि अनुसार न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम ग्राम भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 690, 694, 695 कुल खसरा–03 कुल रकबा 2.01 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम **मोहब्बतसिंह पुत्र अचलसिंह त्रुटिपुर्ण** होने से **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। उपलब्ध तथ्यो से यह जाहिर है कि प्रार्थी के पिता का दिनांक 21.03.2015 को देहान्त हो चुका है, अतः नाम संशोधन के पश्चात् नियमानुसार फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही भी सुनिश्चित करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली
बाली

आदेश आज दिनांक **12.11.2021** को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी

Scanned with CamScanner